सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत जयपुर पहुंचे

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत जयपुर प्रांत के पांच दिवसीय प्रवास पर बुधवार रात जयपुर पहुंचे।

जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत जयपुर प्रांत के पांच दिवसीय प्रवास पर बुधवार रात जयपुर पहुंचे और 29 जनवरी तक रहेंगे।

जयपुर प्रांत के प्रांत संघचालक महेन्द्र सिंह मग्गो ने बताया कि डॉक्टर भागवत 26 जनवरी को केशव विद्यापीठ जामडोली में विद्यालय के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रातः ध्वाजारोहण करेंगे। इसी दिन दोपहर में संघ प्रमुख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में कार्यकर्ता सपरिवार उपस्थित रहेंगे। 27 जनवरी को वे जयपुर के संघ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इसी प्रकार 28 व 29 जनवरी को भी संघ के विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठकों में शामिल होंगे। इस दौरान संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। बैठकों में समाज सशक्तिकरण की दिशा में चलने वाली गतिविधियों यथा कुटुम्ब प्रबोधन, सामाजिक समरसता और पर्यावरण पर भी मंथन होगा। उल्लेखनीय है कि सरसंघचालक का यह नियमित प्रवास है, जो दो वर्ष में एक बार प्रत्येक प्रांत में होता है। पिछले वर्ष चित्तौड़ प्रांत के उदयपुर में सरसंघचालक का प्रवास हुआ था।

देशभर में संघ के 45 प्रांत है, इसी प्रकार राजस्थान क्षेत्र में जयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर प्रांत है। प्रवास के क्रम में प्रांत को वर्ष में एक बार सरसंघचालक और दूसरी बार सरकार्यवाह का प्रवास मिलता है। इस दौरान समाज सशक्तिकरण की दिशा में चल रहे विभिन्न कार्यों पर चर्चा होगी।

धारीवाल कोटा प्रवास पर

कोटा, (निसं)। स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल 26 जनवरी से तीन दिवसीय कोटा प्रवास पर रहेंगे।

खोया-पाया

मेरे प्लाट नं. A-24 लेन्ड मार्क सिटी के पेपर्स पट्टा विक्रय स्वीकृति आवंटन पत्र लीज प्रमाण पत्र लेन्ड मार्क सिटी कुन्हाड़ी से अदालत के बीच कही गिर गये है। जिस किसी को भी मिले कृपया निम्न को पहुंचाने या सूचना देने की कृपा करें।

अजय अग्रवाल

9818501133,9352990448

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम लक्ष्मीचन्द पुत्र श्री पीरूलाल से बदलकर चंदालाल रख लिया है भविष्य में इसी नाम से जाना जाए पता ग्राम झित्या रामनगर पोस्ट कसार तहसील लाडपुरा, कोटा

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम अंजू देवी पत्नी मुकेश से बदलकर पिंटू देवी रख लिया है भविष्य में इसी नाम से जाना जाए पता ग्राम केवलनगर गुर्जर बस्ती तहसील लाडपुरा, कोटा

पश्चिम मध्य रेल

ई-निविदा सूचना

संख्या: उप.मु.इंजी./निविदा आमंत्रण सूचना/कोटा/02/2023, दिनांक: 23.01.2023

भारतसंघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम मध्य रेल, कोटा निम्नलिखित कार्यों के लिए खुली ई-निविदा आमंत्रित करते हैं। **(1) निविदा संख्या:** उप मु. इंजी. (नि) कोटा-17-2022-आर-1 **कार्य का विवरण:** पश्चिम मध्य रेल के कोटा मंडल के मध्य प्रदेश राज्य में रामगंजमंडी-भोपाल नई लाइन परियोजना के संबंध में राजगढ़-बियावरा खंड के बीच किमी 145.00 से 146.50 तक नेवज नदी पर महत्वपूर्ण पुल (किमी 145.289-37 स्पैन x 30.50 मीटर कम्पोजिट गर्डर) की उप संरचना और सुपर-स्ट्रक्चर और वायाडक्ट, मिट्टी के काम और अन्य विविध कार्य निर्माण करना। **निविदा खुलने की तारीख:** 14.02.2023 **अनुमानित लागत:** ₹ 131,44,37,925.72/- (दो चरण की रिवर्स नीलामी)। पूर्ण विवरण वेबसाइट www.ireps.gov.in पर अपलोड की गई ई.निविदा में तथा मुख्य परियोजना प्रबंधक, पश्चिम मध्य रेल, कोटा के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है। ऑफर सिर्फ ई. निविदा के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगें। ई. निविदा के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से निविदा ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगें।

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), प.म.रे., कोटा

वैक्सीन अवश्य लगवाएं,
जीवन के हर सफर को सुरक्षित बनाएं!

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय अति सिविल न्यायाधीश क्रम 1 दक्षिण कोटा

वाद संख्या 680-2022

प्रार्थना पत्र संख्या 557/22

देवेन्द्र कुमार विरुद्ध विजेन्द्र विजय

बनाम (1) इस्माईल पुत्र स्व. अब्दुल हुसैन जाति मुस्लिम नेशनल टाईपिंग सेन्टर भीमगंजमंडी कोटा

(2) विक्रम जैन पुत्र भागचन्द जैन जाति जैन 4 ब 54 विज्ञान नगर कोटा (राज.)

(3) श्रीमती गीतिका चतुर्वेदी पत्नी विजय कुमार जाति ब्राह्मण 4 डी 17 दादाबाड़ी कोटा

वादी ने आपके विरूद्ध वाद के लिये संस्थित किया जाता है। आपका इस न्यायालय में तारीख 15.02.2023 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) के लिए समय दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वंय या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्पर्क अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद में सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें। जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लेखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होगें तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

यह आज तारीख 09 माह 01 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत

आदेशानुसार
रीडर (चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर)
अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग
क्रम-1 (दक्षिण) कोटा

आज से शुरू होगा कांग्रेस का 'हाथ से हाथ जोड़ो' अभियान

- केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ तैयार की गई चार्जशीट को घर-घर पहुंचाएगी कांग्रेस

जयपुर, (का.प्र.)। भारत जोड़ो यात्रा के फॉलोअप प्रोग्राम के रूप में 26 जनवरी से चलाए जाने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए कांग्रेस देश के 6 लाख गांव, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 10 लाख मतदान बूथों में ब्लॉक अध्यक्षों और अन्य नेताओं की सहायता से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट बांटेगी।

भ्रष्ट जुमला पार्टी नाम से तैयार की गई चार्जशीट को कांग्रेस जनता के बीच लेकर पहुंचेगी, जिसमें सूट-बूट की लूट के तहत देश के 10 प्रतिशत अमीरों के पास देश की 64 प्रतिशत और 50 प्रतिशत आबादी के पास 6 प्रतिशत संपत्ति होना, किसानों की कर्ज माफी नहीं होकर अरबपतियों को 72 हजार करोड़ की कर्ज माफी, खास मित्रों को 30 प्रतिशत बंदरगाह, एयरपोर्ट, बिजली उत्पादन और कोयले की खदान देना समेत कई बिंदु शामिल हैं।

इसके अलावा मोदी की छवि चमकाने पर टैक्स पेयर का 10 हजार करोड़ का प्रचार पर खर्चा, 90 प्रतिशत गुप्त इलेक्टोरल बांड से भाजपा की सरकारी हफ्ता वसूली, पार्टी भाई-भतीजा जनता पार्टी बनी, जिसमें राजनीतिक घरानों के 20 मंत्री, 14 एमपी और 31 एमएलए शामिल हैं।

इसके साथ ही रोजगार, भुखमरी समेत कई बिंदु इस चार्जशीट में रखे गए हैं। कांग्रेस इसी चार्जशीट में केंद्र सरकार को चीन के मामले में भी घेरते दिखाई देगी, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है। वहीं, हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से भी नीचे है।

राजस्थान में भी 26 जनवरी से कांग्रेस की ओर से हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। इस अभियान के जरिए राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ता हर ब्लॉक पर हर मतदान बूथ तक पहुंचेंगे। इस अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी की ओर से आम जनता को घर-घर जाकर केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों की चार्जशीट, राहुल गांधी का आम जनता के लिए संदेश, राजस्थान सरकार के जनता के लिए किए गए कामों की सीट के साथ ही हर घर में राहुल गांधी की तस्वीर लगा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का स्टिकर लगेगा।

इस अभियान के लिए राजस्थान के प्रभारी बनाए गए आरसी खूंटियां भी अभियान के लिए जयपुर पहुंचेंगे, जो 26 जनवरी को अजमेर, 27 को भीलवाड़ा, 28 को चित्तौड़गढ़, 29 को उदयपुर और 30 जनवरी को राजसमंद में कार्यकर्ताओं के साथ हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा 27 जनवरी को अजमेर संभाग के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और आम जनता संवाद करेंगे।

अगले दिन 28 जनवरी को राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर संभाग के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। राजधानी जयपुर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा दोपहर 12:30 बजे मोती डूंगरी मंदिर से करेंगी।

पारितोषिक वितरण समारोह संपन्न

बूंदी (निसं)। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ा तोपखाना में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान राज्य बीज निगम के निदेशक चर्मेश शर्मा रहे, मुख्यवक्ता शहर थानाधिकारी सहदेव मीणा व अध्यक्षता नगर परिषद के उपसभापति लटूर भाई ने की व लायंस क्लब बूंदी अध्यक्ष निशांत नुवाल, व स्थानीय वार्ड पार्षद अंकित बूलीवाल कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। संस्था प्रधान हरिराज सिंह हाडा ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम, पर्यावरण बचाओ संदेश तथा खेल खेल में आनंदमय शिक्षा जैसी थीम पर बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रस्तुतियों की अतिथियों व अभिभावकों द्वारा सराहना की गई। अतिथियों द्वारा सभापति मधु नुवाल के समन्वय से विद्यालय की मरम्मत के लिए नगर परिषद से 500000 रुपये की राशि स्वीकृत करवाने काआश्वासन दिया गया। कार्यक्रम के अंत में लायंस क्लब अध्यक्ष निशांत नुवाल द्वारा बच्चों के बीच अपना जन्मदिन मनाया गया।

31 जनवरी तक करवाएं रजिस्ट्रेशन ताकि 1 फरवरी से मिलने लगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ

बूंदी (निसं)। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 31 जनवरी 2023 तक योजना में पंजीकरण करवाने पर 1 फरवरी 2023 से योजना में निःशुल्क उपचार का लाभ ले सकेंगे। 31 जनवरी 2023 के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने पर आमजन को योजना का लाभ 1 मई 2023 से मिल पाएगा। यह राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना है, जिसमें प्रदेश का कोई भी परिवार 850 रुपए देकर योजना से जुड़ सकता है। योजना से जुड़ने के लिये उम्र, आयु, वर्ग, आय की कोई बाध्यता नही है। सीएमएचओ डॉ. ओ पी सामर ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जल्द स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए नागरिक 31 जनवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन करवा लें। 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करवाने पर परिवार को 1 फरवरी 2023 से योजना लाभ ले सकेंगे। 31 जनवरी के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने पर योजना का लाभ 1 मई 2023 से मिल पाएगा। इसलिए वंचित परिवार ई-मित्र पर 850 रुपए जमा करवाकर मंगलवार 31 जनवरी तक आवश्यक रूप से चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन करवाएं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से शुरु की गई थी। जिन परिवारों की पॉलिसी 31 जनवरी 2023 तक वैद्य है, वें भी 31 जनवरी तक पॉलिसी रिन्यू करवाना सुनिश्चित करें। इसके बाद पंजीकरण अथवा पॉलिसी रिन्यू करवाने पर पंजीकृत परिवार को 1 मई 2023 से योजना में उपचार ले सकेंगे।

होमगार्ड कल्याण कोष की राशि अन्य मदों में खर्च नहीं हो : हाईकोर्ट

जयपुर। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अंतरिम आदेश देते हुए कहा है कि प्रकरण के निस्तारण तक होमगार्ड कल्याण कोष में जमा राशि का उपयोग होमगार्ड के लिए ही किया जाए। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पैसा अन्य गतिविधियों में खर्च नहीं हो। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश होमगार्ड समन्वय समिति की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी हजारों होमगार्ड के वेतन से प्रतिवर्ष राशि लेकर होमगार्ड कल्याण कोष बनाया गया है। इसमें होमगार्ड और उसके परिवार के कल्याण के लिए दैनिक वेतन से दस फीसदी राशि का संग्रहण किया जाता है, लेकिन इस फंड की कोई ऑडिट नहीं की जाती। इस कोष में करोड़ों रुपए की राशि जमा हो चुकी है।

वहीं होमगार्ड से जुडे आलाधिकारी भी नाममात्र का अंशदान कर इस फंड के सदस्य बन जाते हैं। वहीं फंड में जमा धनराशि का उपयोग होमगार्ड कल्याण के बजाए विभाग में फर्नीचर खरीद, कार पार्किंग के शेड निर्माण, और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों आदि पर खर्च किया जा रहा है। इस राशि को होमगार्ड के प्रोविडेंट फंड में हस्तांतरित करने के लिए बाध्य होने के बावजूद भी सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

वहीं भविष्य निधि विभाग भी मान चुका है कि इसके लिए पिछले एक दशक से राज्य सरकार से पत्राचार किया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि पीएफ में राशि जमा नहीं कराने पर दंड का प्रावधान है, लेकिन सरकार की ओर से यह राशि जमा नहीं कराई जा रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा है कि याचिका के लंबित रहने के दौरान इस कोष में जमा राशि का अन्य उपयोग नहीं किया जाए।

वात्सल्य योजना व आवासीय बच्चों की समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित

बूंदी (निसं)। जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वाधान में सहायक निदेशक रामराज मीना की अध्यक्षता में जिले में संचालित राजकीय एवं गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थानों के प्रभारी अधिकारियों ,चाइल्डलाइन बूंदी वं बाल कल्याण समिति बूंदी के साथ वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं बाल देखरेख संस्थानों में आवासीय बच्चों की समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान लंबी अवधि से आवासीय बच्चों को अन्य गैर संस्थागत सरकारी योजनाओं से जोड़कर पुनर्वास करने के एवं बाल देखरेख संस्थानों में किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार बच्चों को प्रवेश दिए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान अध्यक्ष बाल कल्याण समिति सीमा पोद्दार ने सभी बाल देखरेख संस्थानों को बाल देखरेख संस्थाओं में को आवश्यक निर्देश दिए गए।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक: LU2012/KOT/2022-23/100393 **लोक सूचना** दि. 24.01.2023

श्री BHUVNESHWAR SHARMA पुत्र श्री PRAKASH CHAND SHARMA जाति BRAHMIN निवासी SHASTRI NAGAR DADABADI, KOTA श्री GYAN CHAND SHARMA पुत्र श्री PRAKASH CHAND SHARMA जाति BRAHMIN निवासी SHASTRI NAGAR DADABADI, KOTA श्री INDU SHARMA पत्नी श्री GYAN CHAND SHARMA जाति BRAHMIN निवासी SHASTRI NAGAR DADABARI, KOTA श्री ISHWAR CHAND SHARMA पुत्र श्री PRAKASH CHAND SHARMA जाति BRAHMIN निवासी SHASTRI NAGAR DADABARI, KOTA श्री NISHA SHARMA पत्नी श्री ISHWAR CHAND SHARMA जाति BRAHMIN निवासी SHASTRI NAGAR DADABARI, KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्ट.)
1.	गणेशपुरा, लाडपुरा (कोटा)	BHUVNESHWAR SHARMA, GYAN CHAND, ISHWAR CHAND SONS OF PRAKASH CHAND & INDU W/O GYAN CHAND, NISH W/O ISHWAR CHAND	13	500	0.05
2.	गणेशपुरा, लाडपुरा (कोटा)	BHUVNESHWAR SHARMA, GYAN CHAND, ISHWAR CHAND SONS OF PRAKASH CHAND & INDU W/O GYAN CHAND, NISH W/O ISHWAR CHAND	15	300	0.03
3.	गणेशपुरा, लाडपुरा (कोटा)	BHUVNESHWAR SHARMA, GYAN CHAND, ISHWAR CHAND SONS OF PRAKASH CHAND & INDU W/O GYAN CHAND, NISH W/O ISHWAR CHAND	17	5000	0.5
4.	गणेशपुरा, लाडपुरा (कोटा)	BHUVNESHWAR SHARMA, GYAN CHAND, ISHWAR CHAND SONS OF PRAKASH CHAND & INDU W/O GYAN CHAND, NISH W/O ISHWAR CHAND	23/11	3100	0.31
				कुल	0.89

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 24/01/2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4170 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 24.1.23

आवास संख्या 1-डी-22 तलवण्डी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती विजय परिहार पत्नी श्री सी.आर. परिहार को किया गया था। श्रीमती विजय परिहार के अनुरोध पर उनके पति श्री छगनराज परिहार पुत्र श्री ओटरमल परिहार का नाम दिनांक 07.05.1987 को संयुक्त रुप से जोड़ा गया है। इस आवास का पंजीयन श्रीमती विजय परिहार पत्नी श्री सी.आर. परिहार एवं श्री सी.आर. परिहार पुत्र श्री ओटरमल परिहार द्वारा दिनांक 30.07.1992 को अपने पक्ष में संयुक्त रुप से करवाया जा चुका है। श्री छगनराज परिहार (सी.आर. परिहार) पुत्र श्री ओटरमल परिहार की मृत्यु दिनांक 09.05.2005 को हो चुकी है। श्री छगनराज परिहार (सी.आर. परिहार) की मृत्यु हो जाने के कारण उनके वारीसानों श्रीमती विजय परिहार पत्नी स्व. श्री छगनराज परिहार एवं श्रीमती रीटा परिहार पत्नी श्री राजेश वर्मा पुत्री स्व. श्री छगनराज परिहार द्वारा उक्त आवास में रिलीज डीड आलेखित कर दिनांक 15.05.2012 को अपने पुत्र श्री कमल परिहार पुत्र स्व. श्री छगनराज परिहार के पक्ष में किया गया। श्रीमती विजय परिहार पत्नी श्री छगनराज परिहार द्वारा दान जरिये दान पत्र 1/2 हिस्से का अविभाजित आलेखित कर दिनांक 15.05.2012 को मेरे पुत्र श्री कमल परिहार पुत्र स्व. श्री छगनराज परिहार को किया गया। श्री कमल परिहार पुत्र स्व. श्री छगनराज परिहार का नाम दिनांक 19.08.2021 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया जा चुका है। तत्पश्चात श्री कमल परिहार पुत्र स्व. श्री छगनराज परिहार (सी.आर. परिहार) द्वारा इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 02.11.2022 को श्रीमती सोनल जैन पत्नी श्री अमित दुगड़ को किया गया। श्रीमती सोनल जैन पत्नी श्री अमित दुगड़ द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सोनल जैन पत्नी श्री अमित दुगड़ के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सोनल जैन पत्नी श्री अमित दुगड़ का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सोनल जैन पत्नी श्री अमित दुगड़ के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4167 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 24.1.23

आवास संख्या 1-डी-30 तलवण्डी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती उर्मिला उत्तम चन्दाणी पत्नी श्री ए.डी. उत्तम चन्दाणी को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्रीमती उर्मिला उत्तम चन्दाणी पत्नी श्री ए.डी. उत्तम चन्दाणी के नाम दिनांक 24.12.1994 को किया गया। पंजीयन उपरांत श्रीमती उर्मिला उत्तम चन्दाणी पत्नी श्री ए.डी. उत्तम चन्दाणी द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 23.01.2016 को श्री जितेन्द्र उत्तम चन्दाणी पुत्र श्री अर्जन दोलत राम उत्तम चन्दाणी को मुख्तारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री जितेन्द्र उत्तम चन्दाणी पुत्र श्री अर्जन दोलत राम उत्तम चन्दाणी द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 04.02.2016 को श्री नवीन नारंग पुत्र श्री हरभगवान नारंग को किया गया। श्री नवीन नारंग पुत्र श्री हरभगवान नारंग का नाम दिनांक 16.08.2018 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया जा चुका है। तत्पश्चात श्री नवीन नारंग पुत्र श्री हरभगवान नारंग द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 28.12.2021 को श्री आशीष आहूजा पुत्र श्री अजय आहूजा एवं श्री अजय आहूजा पुत्र श्री सोहन लाल आहूजा को संयुक्त रुप से किया गया। श्री आशीष आहूजा पुत्र श्री अजय आहूजा एवं श्री अजय आहूजा पुत्र श्री सोहन लाल आहूजा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में संयुक्त रुप से दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री आशीष आहूजा पुत्र श्री अजय आहूजा एवं श्री अजय आहूजा पुत्र श्री सोहन लाल आहूजा के नाम संयुक्त रुप से दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री आशीष आहूजा पुत्र श्री अजय आहूजा एवं श्री अजय आहूजा पुत्र श्री सोहन लाल आहूजा का नाम संयुक्त रुप से दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री आशीष आहूजा पुत्र श्री अजय आहूजा एवं श्री अजय आहूजा पुत्र श्री सोहन लाल आहूजा के नाम संयुक्त रुप से दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4165 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 24.1.23

आवास संख्या 1-जी-9 कुन्हाड़ी कोटा खुली बिक्री का आवंटन मंडल द्वारा डॉ. सीताराम वर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण वर्मा को किया गया है। इस आवास का पंजीयन डॉ. सीताराम वर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण वर्मा द्वारा दिनांक 30.05.2005 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत डॉ. सीताराम वर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण वर्मा द्वारा इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 23.12.2014 को श्री अरुण डाणी पुत्र श्री बजरंग लाल अग्रवाल एवं श्री अलोक डाणी पुत्र श्री बजरंग लाल अग्रवाल को संयुक्त रुप से किया गया है। श्री अरुण डाणी पुत्र श्री बजरंग लाल अग्रवाल एवं श्री अलोक डाणी पुत्र श्री बजरंग लाल अग्रवाल के नाम दिनांक 19.02.2015 को संयुक्त रुप से कार्यालय आदेश जारी किया जा चुका है। श्री अरुण डाणी पुत्र श्री बजरंग लाल अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 14.02.2020 को हो चुकी है। श्री अरुण डाणी पुत्र श्री बजरंग लाल अग्रवाल की मृत्यु पश्चात उक्त आवास में निहित अपने आधे हिस्से सम्पत्ति के मालिक स्वामी व काबिज मेरी पत्नी श्रीमती अगम डाणी के पक्ष में वसीयत आलेखित की गई है। इस आवास का हस्तान्तरण वसीयत नामे के आधार पर दिनांक 06.02.2020 को श्रीमती अगम डाणी पत्नी स्व. श्री अरुण डाणी के नाम किया गया है। मंडल द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 4386 दिनांक 30.12.2020 श्रीमती अगम डाणी पत्नी स्व. श्री अरुण डाणी का नाम मंडल अभिलेख में दर्ज किया जा चुका है। श्री आलोक डाणी पुत्र श्री बजरंग लाल अग्रवाल व श्रीमती अगम डाणी पत्नी स्व. श्री अरुण डाणी के द्वारा उक्त आवास का बैचान विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 15.11.2022 को श्री नरेन्द्र सैनी पुत्र श्री चुन्नीलाल सैनी को आवास का विक्रय पत्र के आधार पर बैचान किया गया है। श्री नरेन्द्र सैनी पुत्र श्री चुन्नीलाल सैनी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास के मंडल अभिलेख में अपना नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः इस आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री नरेन्द्र सैनी पुत्र श्री चुन्नीलाल सैनी का नाम दर्ज करने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि इस आवास के मंडल अभिलेख में श्री नरेन्द्र सैनी पुत्र श्री चुन्नीलाल सैनी का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में श्री नरेन्द्र सैनी पुत्र श्री चुन्नीलाल सैनी का नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4113 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 20.1.23

आवास संख्या 12/259 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री हीरा लाल पुत्र श्री नाथू मल को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती सुनीता पाटनी पत्नी श्री संदीप पाटनी के नाम दिनांक 08.10.2018 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती सुनीता पाटनी पत्नी श्री संदीप पाटनी के नाम दिनांक 18.12.2018 को किया गया। पंजीयन उपरांत श्रीमती सुनीता पाटनी पत्नी श्री संदीप पाटनी द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 17.06.2021 को श्रीमती गुड्डी कंवर पत्नी श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा को मुख्तारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्रीमती गुड्डी कंवर पत्नी श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 01.11.2022 को श्रीमती सुरभि विजय पुत्री श्री ओम प्रकाश विजय पत्नी श्री विवेक विजय को किया गया। श्रीमती सुरभि विजय पुत्री श्री ओम प्रकाश विजय पत्नी श्री विवेक विजय द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सुरभि विजय पुत्री श्री ओम प्रकाश विजय पत्नी श्री विवेक विजय के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सुरभि विजय पुत्री श्री ओम प्रकाश विजय पत्नी श्री विवेक विजय का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सुरभि विजय पुत्री श्री ओम प्रकाश विजय पत्नी श्री विवेक विजय के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 3933 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 9.1.23

आवास संख्या 12/37 स्वामी विवेकानन्द नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती कमलेश शर्मा पत्नी श्री राकेश शर्मा को किया गया था। श्रीमती कमलेश शर्मा पत्नी श्री राकेश शर्मा द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 24.06.2004 को श्री दीपक कुमार जैन पुत्र श्री सन्तोष चंद जैन को अपना मुख्तार आम धारक नियुक्त किया गया। इस आवास का पंजीयन श्रीमती कमलेश शर्मा पत्नी श्री राकेश शर्मा एवं मुख्तार आम धारक श्री दीपक कुमार जैन पुत्र श्री सन्तोष चंद जैन के नाम दिनांक 04.03.2010 को किया गया। पंजीयन उपरांत श्रीमती कमलेश शर्मा पत्नी श्री राकेश शर्मा एवं मुख्तार आम धारक श्री दीपक कुमार जैन पुत्र श्री सन्तोष चंद जैन द्वारा इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 07.06.2010 को श्री हेमराज नागर पुत्र श्री भोजराज नागर को किया गया। श्री हेमराज नागर पुत्र श्री भोजराज नागर का नाम दिनांक 25.08.2010 को मंडल अभिलेख में कार्यालय आदेश जारी किया जा चुका है। तत्पश्चात श्री हेमराज नागर पुत्र श्री भोजराज नागर द्वारा इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 19.04.2012 को श्री सुरेश कुमार पंकज पुत्र श्री प्रीतम पंकज को किया गया। श्री सुरेश कुमार पंकज पुत्र श्री प्रीतम पंकज का नाम दिनांक 18.08.2021 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया जा चुका है। तत्पश्चात श्री सुरेश कुमार पंकज पुत्र श्री प्रीतम पंकज द्वारा उक्त आवास के संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 21.06.2021 को श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी श्री भगवती अग्रवाल को अपना मुख्तार आम धारक नियुक्त किया गया। श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी श्री भगवती अग्रवाल द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसीयत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 05.05.2005 को श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री मोहन लाल को किया गया। श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री मोहन लाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः इस आवास के मंडल अभिलेख में श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री मोहन लाल का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 10 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि इस आवास के मंडल अभिलेख में श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री मोहन लाल का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में श्री दिनेश चन्द अग्रवाल पुत्र स्व. श्री रामविलास का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 4111 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 20.1.23

आवास संख्या 3/11 गणेश तालाब कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री कन्हैया लाल वर्मा पुत्र श्री घन्ना लाल को किया गया था। श्री कन्हैया लाल वर्मा पुत्र श्री घन्ना लाल की मृत्यु दिनांक 14.12.1995 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन दिनांक 13.02.1998 को इनकी पत्नी श्रीमती राम कन्या बाई पत्नी स्व. श्री कन्हैया लाल वर्मा के नाम किया गया। श्रीमती राम कन्या बाई पत्नी स्व. श्री कन्हैया लाल वर्मा द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से मुख्तारनामा, वसीयतनामा, इकरारनामा आलेखित कर दिनांक 22.12.1997 को श्रीमती गीता देवी जैन पत्नी स्व. श्री तेजमल जैन को किया गया। इस आवास का नियमितिकरण श्रीमती गीता देवी जैन पत्नी स्व. श्री तेजमल जैन के नाम दिनांक 30.04.2002 को किया गया। श्रीमती गीता देवी जैन पत्नी स्व. श्री तेजमल जैन की मृत्यु दिनांक 13.02.2002 को हो चुकी है। श्रीमती गीता देवी जैन की मृत्यु उपरांत उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन दिनांक 19.05.2003 को इनके पुत्र श्री मुकेश जैन पुत्र स्व. तेजमल जैन के नाम किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री मुकेश जैन पुत्र स्व. तेजमल जैन द्वारा दिनांक 11.08.2003 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्री मुकेश जैन पुत्र स्व. तेजमल जैन द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 07.02.2004 को श्री बाबूलाल सोनी पुत्र श्री चिरंजीलाल सोनी को मुख्तारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री बाबूलाल सोनी पुत्र श्री चिरंजीलाल सोनी द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 23.04.2004 को श्रीमती प्रेमवती सोनी पत्नी श्री केशव लाल सोनी को किया गया। श्रीमती प्रेमवती सोनी पत्नी श्री केशव लाल सोनी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती प्रेमवती सोनी पत्नी श्री केशव लाल सोनी के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती प्रेमवती सोनी पत्नी श्री केशव लाल सोनी का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती प्रेमवती सोनी पत्नी श्री केशव लाल सोनी के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगरपालिका सांगोद जिला कोटा (राज.)

क्रमांक/न.पा.सा./भूमि/2022-23/336 **आपत्ति सूचना** दिनांकः-23.1.2023

सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि निम्न आवेदकों द्वारा पट्टा नामान्तरण हेतु आवेदन किया है। उक्त आवेदन पर किसी को कोई आपत्ति हो तो नगर पालिका कार्यालय में 7 दिवस में मय सबूत अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। अन्यथा बाद मियाद गुजरने के बाद एक तरफा कार्यवाही कर दी जावेगी।

क्र. सं.	आवेदक	मूल पट्टा धारक का नाम	विवरण	भूखंड का विवरण	भूखंड की स्थिति
1	श्री ललित किशोर शर्मा/ श्रीराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी नई सब्जी मण्डी के सामने सांगोद	श्री मधुसूधन/ कन्हैयालाल	पट्टा क्रमांक 53 दिनांक 26.02.1977 को 630 वर्गफीट	उत्तर-आम रास्ता दक्षिण-प्लाट नं. 02, 03 पूर्व-प्लाट 12 पश्चिम-प्लाट नं. 10	नई सब्जी मण्डी के सामने सांगोद

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सांगोद

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः-एफ 11/विक्रय/2023/563 **विज्ञप्ति** दिनांकः-25.1.2023

नगर विकास न्यास कोटा की योजना श्रीनाथपुरम-ए आवासीय कम व्यवसायिक का भूखण्ड/आवास संख्या 43 को आवंटन/नीलामी न्यास के पत्र दिनांक 31.05.2021 को श्रीमती अजिदा बानो पत्नि श्री लतीफ मोहम्मद को आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्री जर्ये मुख्तारआम श्रीमती किरण जैन पत्नि श्री राजेश जैन द्वारा नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस रजिस्ट्री की स्वीकृति देने में किसी को कोई ऐतराज हो तो अन्दर 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 43 योजना श्रीनाथपुरम-ए आवासीय कम व्यवसायिक की रजिस्ट्री स्वीकृति श्रीमती अजिदा बानो पत्नि श्री लतीफ मोहम्मद जर्ये मुख्तारआम श्रीमती किरण जैन पत्नि श्री राजेश जैन के नाम जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः-एफ 5/पुर्नवास/2023/1079 **विज्ञप्ति** दिनांकः-24.1.2023

नगर विकास न्यास कोटा की योजना श्रीनाथपुरम-सी भूखण्ड संख्या 437 का आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 08.04.1996 से श्रीमान भँवर लाल पुत्र श्री जगन्नाथ जी को जारी किया गया था। जिसकी रजिस्ट्री जर्ये मुख्तारआम श्रीमती सुशीला पत्नि श्री राजेश वर्मा जी द्वारा नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस रजिस्ट्री की स्वीकृति देने में किसी को कोई ऐतराज हो तो अन्दर 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 437 योजना श्रीनाथपुरम-सी की रजिस्ट्री स्वीकृति श्रीमान भँवर लाल पुत्र श्री जगन्नाथ जी के नाम जर्ये मुख्तारआम श्रीमती सुशीला पत्नि श्री राजेश वर्मा के द्वारा जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः-एफ 11/विक्रय/2022/1407 **विज्ञप्ति** दिनांकः-24.1.2023

न्यास कार्यालय की रानपुर आवासीय योजना में दुकान/भूखण्ड/आवास संख्या ई-317 का आवंटन नामांतरण पत्र क्रमांक 88 दिनांक 16.05.2013 के द्वारा श्री रूपचन्द जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन को किया गया था। श्री रूपचन्द जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन की मृत्यु दिनांक 15.05.2004 को हो चुकी है। श्री रूपचन्द जैन पुत्र श्री नेमीचन्द जैन के विधिक वारिसान के शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं प्रस्तुत रिलीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड का नामांतरण श्री राकेश जैन पुत्र स्व. श्री रूपचन्द जैन के नाम किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः जिस किसी को भी उक्त दुकान/भूखण्ड/आवास के हस्तानांतरण मृत्यु उपरांत श्री राकेश जैन पुत्र स्व. श्री नेमीचन्द जैन के नाम किये जाने में कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम में अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त दुकान/भूखण्ड/आवास का स्वामित्व हस्तानांतरण श्री राकेश जैन पुत्र स्व. श्री रूपचन्द जैन के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः-519 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांकः-17.1.23

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना विश्वकर्मा ऑटोमोबाईल नगर स्पेशल व्यावसायिक योजना के भूखंड संख्या 134 का आवंटन मैसर्स जनरल मोटर गैराज प्रो. श्री सिद्दिकी हुसैन आवंटन क्रमांक 426 दिनांक 13.12.2000 को किया गया था। आवंटी श्री सिद्दिकी हुसैन पुत्र श्री हैदर हुसैन द्वारा उक्त भूखंड का मुख्तारआम श्री राजकमल नागर पुत्र श्री भवानी शंकर नागर को मुख्तारआम नियुक्त किया गया। मुख्तारआम श्री राजकमल नागर पुत्र श्री भवानी शंकर नागर द्वारा उक्त भूखंड संख्या 134 विश्वकर्मा ऑटोमोबाईल नगर स्पेशल व्यावसायिक योजना को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.06.2022 से श्री राजकुमार गौड़ पुत्र श्री सत्यनारायण गौड़ को विक्रय कर दिया है। क्रेता श्री राजकुमार गौड़ पुत्र श्री सत्यनारायण गौड़ के द्वारा नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड 134 विश्वकर्मा ऑटोमोबाईल नगर स्पेशल व्यावसायिक योजना का हस्तान्तरण श्री राजकुमार गौड़ पुत्र श्री सत्यनारायण गौड़ के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः-एफ-15/कृ.भू.रू./2022/2215 **विज्ञप्ति** दिनांकः-24.1.2022

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कुन्हाड़ी में स्थित कृषि भूमि योजना कृष्णा विहार खसरा नं. 375/450 में स्थित भूखंड संख्या 69 आवेदक श्री चक्षु जैन पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश जैन एवं श्रीमती शशि जैन पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश जैन निवासी 1-म-12 विज्ञान नगर कोटा नाम हस्तान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा आदेश क्रमांक 522 दिनांक 18.05.2022 को श्रीमती राजेश बाई पत्नी श्री सत्यनारायण पारेता के नाम जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान रजि. विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2022 को जर्ये मुख्तारआम श्रीमती सुनिता सुवालका पत्नी श्री महावीर सुवालका पुत्री श्री सत्यनारायण पारेता द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अतः श्री चक्षु जैन पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश जैन एवं श्रीमती शशि जैन पत्नी श्री चन्द्रप्रकाश जैन के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः-559 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांकः-25.1.23

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना श्रीनाथपुरमपुरम-डी आवासीय भूखंड संख्या 207 का आवंटन श्री रामकिशन अजमेरा पुत्र श्री गुडकी लाल अजमेरा को आवंटन क्रमांक 1547 दिनांक 17.05.1993 को किया गया था। आवंटी श्री रामकिशन अजमेरा पुत्र श्री गुडकी लाल अजमेरा की मृत्यु दिनांक 28.11.2010 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत क्रेता के वसीयती हकदार श्री गणेश अजमेरा पुत्र स्व. श्री रामकिशन अजमेरा द्वारा हकत्याग पत्र (रिलीज डीड), मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति पेश कर नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड 207 श्रीनाथपुरमपुरम-डी आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्री गणेश अजमेरा पुत्र स्व. श्री रामकिशन अजमेरा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः-534 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांकः-24.1.23

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना केशवपुरा-7 के भूखंड/आवास संख्या 203 श्री मेहताब सिंह पुत्र श्री मोतीलाल को न्यास के पत्र दिनांक 13.11.1989 को आवंटन किया गया था। आवंटी श्री मेहताब सिंह पुत्र श्री मोतीलाल द्वारा उक्त भूखंड का विक्रय जर्ये मुख्तारआम से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.0.2007 के द्वारा श्री कृष्ण वल्लभ कक्कड पुत्र श्री गोविन्द लाल कक्कड को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता श्री कृष्ण वल्लभ कक्कड की मृत्यु दिनांक 16.01.2020 को हो चुकी है। क्रेता द्वारा अपने जीवनकाल में श्री दीनदयाल पांचाल पुत्र श्री विशन लाल पांचाल के नाम वसीयत निष्पादित कर रखी थी। मृत्यु उपरांत क्रेता के विधिक वारिसान प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयतनामा, शपथ पत्र, आईडी इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड/आवास श्री दीनदयाल पांचाल पुत्र श्री विशन लाल पांचाल के नामहस्तान्तरण की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 203 योजना केशवपुरा-7 का नाम हस्तान्तरण श्री दीनदयाल पांचाल पुत्र श्री विशन लाल पांचाल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांकः-535 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांकः-24.1.23

नगर विकास न्यास कोटा की योजना स्टोनमण्डी बिल्डिंग मेटेरियल यार्ड झालावाड़ रोड व्यवसायिक में भूखंड/आवास संख्या 101 मै. सुमति स्टोन सप्लायर्स प्रो. श्री महेन्द्र कुमार को आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 19.05.1986 को आवंटन किया गया था। आवंटी प्रो. श्री महेन्द्र कुमार की मृत्यु दिनांक 09.02.2017 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत आवंटी के विधिक वारिसान श्री पंकज जैन पुत्र स्व. श्री महेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, हक त्याग पत्र, शपथ पत्र, वारिसान शपथ पत्र, आई.डी. व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखंड/आवास संख्या 101 स्टोनमण्डी बिल्डिंग मेटेरियल यार्ड झालावाड़ रोड व्यवसायिक अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 101 योजना स्टोनमण्डी बिल्डिंग मेटेरियल यार्ड झालावाड़ रोड व्यवसायिक का नाम हस्तान्तरण श्री पंकज जैन पुत्र स्व. श्री महेन्द्र कुमार के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा